UPPG010023772022

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय कक्ष संख्या–१, प्रतापगढ़।

पीठासीन अधिकारी– श्री संतोष कुमार तिवारी, (उच्चतर न्यायिक सेवा)– UP–2171

द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–११४२/२०२२

१. अरविन्द सिंह उम्र लगभग ४८ वर्ष पुत्र सहदेव सिंह, निवासी ग्राम–वीरशाहपुर मजरे भोजपुर, थाना–सांगीपुर, जनपद–प्रतापगढ़।

२. संजय सिंह उम्र लगभग ४३ वर्ष पुत्र राम प्रताप सिंह, निवासी ग्राम–वीरशाहपुर मजरे भोजपुर, थाना–सांगीपुर, जनपद–प्रतापगढ़। ..... आवेदकगण/अभियुक्तगण

बनाम

राज्य उ०प्र० ..... अभियोगी

सत्र परीक्षण संख्या–२१३/२०१८

मुकदमा अपराध संख्या–१२६/२०१२

धारा–१४७,३२३,३२५,३०४ भा०दं०सं०

थाना–सांगीपुर, **जनपद–**प्रतापगढ़।

दिनांक–२८.०४.२०२२

आवेदकगण/अभियुक्तगण अरविन्द सिंह व संजय सिंह की तरफ से यह जमानत प्रार्थना पत्र उपरोक्त प्रकरण में जरिये विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत किया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में है।

आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा समस्त अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण पूर्व में जमानत पर थे, तथा प्रत्येक पेशी पर व्यक्तिगत रूप से अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाजिर आते रहे, किन्तु आवेदकगण के घर की माली हालत ठीक न होने के कारण रोजी रोटी के सिलसिले में मुंबई शहर चले गये जिस कारण नियत तिथि को न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके और न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध गैर जमानतीय वारण्ट जारी कर दिया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा जान बूझ कर कोई गलती नहीं की गयी है, भविष्य मे मुकदमें की पैरवी नेक नियती से करेगा तथा नियत प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। आवेदकगण/अभियुक्तगण दिनांक–२३.०४.२०२२ से जिला कारागार में निरूद्ध है। आवेदकगण/अभियुक्तगण का यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र है, कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च

न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में प्रस्तुत व विचाराधीन नहीं है न ही निरस्त हुआ है। जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की तरफ से जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण ने जमानत का दुरूपयोग किया है तथा अनुपस्थित होकर मामले के विचारण को बाधित किया है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए।

जमानत के बिन्दु पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुनने तथा पत्रावली में उपलब्ध प्रपत्रों के सम्यक रूपेण परिशीलनोपरान्त स्पष्ट है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण के न्यायालय में उपस्थित न हाने पर उनके विरूद्ध गैर जमानतीय वारण्ट जारी किया गया था, जिसमें पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक–२३.०४.२०२२ से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक गण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रत्येक नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे और न्यायालय द्वारा जो भी शर्ते अधिरोपित की जायेंगी उनका पालन करेंगे। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदकगण/ अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

आवेदकगण/अभियुक्तगण अरविन्द सिंह व संजय सिंह की तरफ से प्रश्नगत प्रकरण में प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदकगण/अभियुक्तगण को उनके प्रत्येक द्वारा मु० एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बंध पत्र व समान धनराशि की दो विश्वसनीय प्रतिभू सम्बंधित न्यायालय की संतुष्टि अनुसार दाखिल करने पर, इस शर्त के साथ जमानत पर रिहा किया जाय कि वे न्यायालय में प्रत्येक नियत तिथि पर उपस्थित रहेंगे, अनावश्यक स्थगन प्रार्थना पत्र नहीं प्रस्तुत करेंगे, अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़–छाड़ नहीं करेंगे व विचारण में सहयोग करेंगे।

दिनांक–२८.०४.२०२२

I.J.S

(संतोष कुमार तिवारी)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–१, प्रतापगढ़।

Digitally signed by Santosh Kumar Tiwari
Date: 2022.04.28 16:09:37 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court